

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2006

संख्या का० आ० 117/ह० अ० 6/2003/घा० 60/2006.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 15/ह०अ० 6/2003/घा० 60/2006, दिनांक 11 दिसम्बर, 2006, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2006, कहे जा सकते हैं।

(2) ये जुलाई, 2005, के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, उप नियम (1) में, खण्ड (ड) के बाद निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

‘(डड) “ढाबावाला”, “तन्दूरवाला” या “लोहवाला” से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो स्वयं या शारीरिक श्रम का प्रयोग करते हुए अपने व्यवसाय के परम्परागत औजार तथा उपस्कर का प्रयोग करके एकमात्र भारतीय खाद्य निर्मित तैयार करता है’;

3. उक्त नियमों में, नियम 52 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

“52क. ढाबावालों, तन्दूरवालों या लोहवालों को छूट अनुसूची ख की प्रविष्टि 31क.—

(1) ढाबावाला, तन्दूरवाला या लोहवाला को अधिनियम की अनुसूची ख की प्रविष्टि 31 क के अधीन आने वाले केवल तभी समझे जाएंगे यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं ; अर्थात् :—

(i) भवन के निर्माण पर कुल निवेश, भूमि की कीमत को छोड़कर, यदि वह उसका अपना या किराये पर है, जहां ढाबा, तन्दूर या लोह चलाया जा रहा है, 5 लाख से अधिक नहीं है—

(क) प्रथम जुलाई, 2005 से पूर्व निर्मित भवनों की दशा में, कीमत लोक निर्माण विभाग की दरों पर अभिनिश्चित की जानी है जो प्रथम जुलाई, 2005 को लागू हैं, माना भवन प्रथम जुलाई, 2005 को निर्मित किया गया है।

(ख) नए भवनों की दशा में कीमत लोक निर्माण विभाग की दरों पर अभिनिश्चित की जानी है जो निर्माण की तिथि को लागू हैं।

दोनों मामलों में कीमत क्षेत्र के कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित की जाएगी।

- (ii) कोई भी अन्य कारखाने गतिविधियां खाने के स्थान पर नहीं चलाई जानी हैं।
- (iii) आच्छादित क्षेत्र में बैठने की क्षमता एक समय पर पच्चीस व्यक्तियों से अधिक नहीं होगी।
- (iv) खाने के स्थान पर कोई भी एयर कन्डिशनर नहीं लगा होगा।
- (v) सामान्यतः परोसे गये भोजन की दरें जिला में हरियाणा पर्यटन रैस्तराओं की न्यूनतम श्रेणी की दरों से कम होंगी (जिला के हरियाणा पर्यटन रैस्तरा के प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जायेगा)।

**टिप्पण :**— मेवात जिले में स्थित ढाबों की दशा में, गुडगांव के हरियाणा पर्यटन रैस्तरा के प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

उक्त शर्तों को पूरा करने पर ढाबेवाला, तन्दूरवाला तथा लोहवाला अनुसूची ख की प्रविष्टि 31क के अधीन छूट प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सम्बद्ध निर्धारण प्राधिकारी को नीचे उप नियम (2) में दिए गए विहित प्ररूप में आवेदन करेगा।

(2) उक्त नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित प्ररूप में होगा :—

‘प्ररूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 से संलग्न अनुसूची ख की प्रविष्टि 31क के अधीन छूट प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए आवेदन।

- (i) आवेदक का नाम तथा पता :
- (ii) टिन संख्या, यदि कोई हो :
- (iii) स्थान जहां ढाबा, तन्दूर अथवा लोह स्थित है, का पूरा पता :
- (iv) भवन की कीमत जहां प्रतिष्ठान स्थित है, जैसे,—  
(क) प्रथम जुलाई, 2005 (यदि भवन प्रथम जुलाई, 2005 से पूर्व निर्मित है) :  
(ख) आवेदन की तिथि ( नये भवन के मामले में )।

**टिप्पण :**—जिला/क्षेत्र के कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

- (v) आच्छादित क्षेत्र में प्रतिष्ठान की बैठने की क्षमता.....
- (vi) मैं..... मैसर्ज.....मालिक/पार्टनर इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम 52A के उपनियम (1) के अधीन विहित सभी शर्तें पूरा करता हूँ तथा प्रतिष्ठान में

मेरे द्वारा परोसे जा रहे भोजन की दरें जिला/क्षेत्र में हरियाणा पर्यटन रैस्तराओं की न्यूनतम श्रेणी दरों से अधिक नहीं हैं (इस प्रभाव का प्रबन्धक, हरियाणा पर्यटन रैस्तरां द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है)।

मैं आगे प्रमाणित करता हूँ कि मैं केवल भारतीय खाद्य निर्मितियां, जो कि आम तौर पर ढाबावाला, तन्दूरवाला या लोहवाला द्वारा तैयार की जाती हैं, तैयार करूंगा तथा परोसूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर तथा

कारबार के साथ उसका सम्बन्ध'।

(3) आवेदन की प्राप्ति पर निर्धारण प्राधिकारी सत्यापित करेगा/जांच करेगा तथा जिला के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त को उसे छूट प्रमाण पत्र देने के लिए अपनी सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। छूट प्रमाण पत्र जिला प्रभारी द्वारा अनुमोदन के बाद, निम्नलिखित प्ररूप में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा :—

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

'मैं,.....निर्धारण प्राधिकारी,.....मैसर्ज.....के प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्यों को सत्यापित करता हूँ तथा मैं संतुष्ट हूँ कि आवेदक हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम 52क के उपनियम (1) के अधीन यथा विहित शर्तों तथा अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची ख की प्रविष्टि 31क के अधीन आता है। यह प्रमाण पत्र दिनांक.....तक वैध है।'।

दिनांक :

निर्धारण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

जिले का नाम.....

निर्धारण प्राधिकारी की मोहर

(4) इस प्रकार प्रदान किया गया छूट प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से आगामी तीसरे वर्ष की 31 मार्च तक वैध होगा तथा इसके बाद आवेदक को उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करते हुये इसे नवीकृत करवाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार नवीकृत प्रमाण पत्र आगामी तीसरे वर्ष की 31 मार्च तक वैध रहेगा।"।

एल० एस० एम० सालिन्स,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT****EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 29th December, 2006

**No. S.O. 117/H.A. 6/2003/S. 60/2006.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. web 15/H.A. 6/2003/S.60/2006, dated the 11th December, 2006, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of July, 2005.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 (hereinafter called the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (m), the following clause shall be inserted, namely :—

(mm) "Dhabawala", "tandoorwala" or "lohwala" means a person who prepares himself or by applying manual labour, using traditional tools and equipment of his trade, Indian food preparations exclusively';

3. In the said rules, after rule 52, the following rule shall be inserted, namely :—

"52A Exemption to dhabawalas, tandoorwalas or lohwalas entry 31A of Scheduled B—(1) A dhabawala, tandoorwala or lohwala shall be treated to be covered under entry 31A of Schedule B of the Act, only if, he fulfills the following conditions, namely :—

- (i) The total investment on the construction of the building, excluding the value of land, whether it is owned by him or a rented one, where dhaba, tandoor or loh is being run does not exceed Rs. 5 lakhs—
  - (a) in case of buildings constructed prior to 1st July, 2005, the value to be ascertained on Public Works Department rates as applicable on 1st July, 2005, as if the building has been constructed on 1st July, 2005;
  - (b) in case of new buildings, the value to be ascertained on Public Works Department rates as applicable on the date of construction.

The value in both the cases to be certified by the XEN, Public Works Department of the area.

- (ii) No other business activities are carried on in the eating place.
- (iii) The seating capacity in the covered area shall not exceed 25 persons at a time.
- (iv) There shall be no air conditioner in the eating place.
- (v) Rates of dishes served commonly shall be less than the lowest category rates of Haryana Tourism Restaurants in the district (to be certified by the Manager of the Haryana Tourism Restaurant, of the district).

*Note* :— In case of dhabas located in Mewat district, to be certified by Manager of the lowest category of Haryana Tourism Restaurant in Gurgaon.

The dhabawala, tandoorwala or lohwala, fulfilling the above conditions shall apply in the prescribed form given in sub-rule (2) below to the assessing authority concerned for grant of exemption certificate under entry 31A of Schedule B.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be in the following form :—

Form

Application for issue of exemption certificate under entry 31A of Schedule B appended to the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

- (i) Name and address of the applicant : \_\_\_\_\_
- (ii) Tax Payer Identification Number, if any : \_\_\_\_\_
- (iii) Full address of the place where dhaba, tandoor or loh is located : \_\_\_\_\_
- (iv) Value of the building where the establishment is located, as on, —
  - (a) 1st July, 2005 (if the building is constructed prior to 1st July, 2005) :
  - (b) date of application (in case of new building) :

*Note* :— Certificate to be attached from XEN, Public Works Department of the district/area.

- (v) Seating capacity of the establishment in the covered area \_\_\_\_\_
- (vi) I, \_\_\_\_\_ proprietor/partner of M/s \_\_\_\_\_ hereby certify, that I fulfill all the conditions prescribed under sub-rule (1) of rule 52 A of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, and the rates of the dishes being served by me in the establishment do

not exceed the lowest category rates of Haryana Tourism Restaurants in the district/area (a certificate to this effect issued by the Manager, Haryana Tourism Restaurant is enclosed).

I further certify that I shall be preparing and serving Indian food preparations only which are ordinarily prepared by dhabawala, tandoorwala or lohwala.

Signature of the applicant  
alongwith his relationship  
with the business'.

(3) The assessing authority on receipt of the application shall verify/conduct the enquiry and submit his report to the Deputy Excise and Taxation Commissioner of the district with his recommendations to grant exemption certificate, to him. The exemption certificate in the following form shall be issued by assessing authority, after approval by the district Incharge :—

Certificate to be issued by the assessing authority

I, \_\_\_\_\_ assessing authority \_\_\_\_\_  
have verified the facts given in the application of M/s \_\_\_\_\_ and I am satisfied that the applicant fulfills the conditions and the requirements as prescribed under sub-rule (1) of rule 52A of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, and is covered under entry 31A of Schedule B of the Haryana Value Added Tax Act, 2003. This certificate is valid upto \_\_\_\_\_.

Date :

Signature of Assessing Authority

Name of District \_\_\_\_\_

Seal of the Assessing Authority

(4) The exemption certificate so granted shall be valid upto 31st March of the 3rd year next from the date of issue and the applicant shall be required to get it renewed thereafter by submitting the application in the form referred in sub-rule (2). The certificate so renewed shall be valid upto 31st March of next 3rd year."

L. S. M. SALINS,

Financial Commissioner and Principal  
Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.